बिहार सरकार,
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

संख्या–प्र01 / क्षे0स्था0–34 / 2001 17 / दिनांक– 18/6/13

विभागीय अधिसूचना संख्या–17 दिनांक–19.09.1998 में विद्युत ठेकेदारों को लाईसेंस देने की प्रक्रिया तथा विद्युत पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) एवं तार कर्मियों (वायरमैन) की परीक्षा में प्रवेश की अधिसूचित शर्तो में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–17 दिनांक–19.09.1998 के अनुसार अधिसूचित शर्त्तः–	संशोधित स्वरूप
(1) **विद्युत ठेकेदारों को लाइसेन्स देने की प्रक्रिया** :– अधिसूचना की कंडिका 20(i) विद्युत ठेकेदार को लाइसेन्स हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन फीस के साथ देना होगा। ठेकेदार दो परमिटधारी तारमिस्त्रियों तथा एक प्रमाण पत्रधारी पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) की नियुक्ति करेगा। उसे सचिव, लाइसेंसिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र भरना होगा।	**(1) विद्युत ठेकेदारों को लाइसेन्स देने की प्रकिया :–** विद्युत ठेकेदार लाइसेन्स (अनुज्ञा पत्र) बनाने हेतु कार्यालय में उपस्थित होकर साक्षात्कार देने की अनिवार्यता के बदले विहित प्रपत्र में शपथ पत्र (आवेदक एवं कर्मियों का अलग–अलग) कर्मियों के मूल लाइसेन्स पत्र, आवश्यक शुल्क एवं निम्न कागजात देनें के उपरान्त विद्युत ठीकेदार लाइसेन्स निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। (I) विहित प्रपत्र में विवरणी एवं साथ में तीन पासपोर्ट साईज फोटो तथा आवेदक के पहचान हेतु दो सम्भ्रान्त व्यक्तियों का परिचय सहित आवेदन। (II) आवासीय पता, पहचान प्रमाण पत्र एवं अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र। (III) कम्पनी / फर्म / पार्टनरशिप हेतु मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन(Memorandum and Article of Association) / रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate) पार्टनरशिप डीड (Partnership Deed) की प्रति जो लागू हो।
(2) **लाइसेन्स की द्वितीयक प्रति :– अधिसूचना की कंडिका 20 (iv)** :– द्वितीयक बनाने के लिए ठेकेदारों को वे सभी प्रक्रियाएँ अपनानी पड़ेंगी जो नए आवेदनकर्त्ता को अपनानी पड़ती है।	**(2)(अ)** द्वितीयक / प्रति बनाने के लिए मूल आवेदन (विहित प्रपत्र) में पूर्व के निर्गत लाइसेन्स में वर्णित तथ्यों को भरकर शपथ पत्र एवं एफ०आई०आर० की प्रति सहित आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन जमा करना होगा। तत्पश्चात कार्यालय अभिलेख से मिलान कर वैध पाए जाने पर द्वितीयक प्रति निर्गत किया जा सकेगा। **(ब)** विद्युत ठेकेदार का निर्गत लाइसेन्स **क्षतिग्रस्त** (लाइसेन्स की जीर्ण–शीर्ण स्थिति, फोटो अस्पष्ट एवं कटा–फटा तथा पानी में भींगने के बाद खराब जो जाने, अपठनीय व अन्य) हो जाने पर लाइसेन्स की क्षतिग्रस्त मूल प्रति, शपथ पत्र एवं आवश्यक शुल्क आवेदन के साथ जमा करने पर जॉचोपरान्त लाइसेन्स का नया बुक जारी किया जा सकेगा।
(3) क्षमता प्रमाण पत्र हेतु योग्यता :– (अधिसूचना की कंडिका–12) (1) विद्युत अभियंत्रण के उम्मीदवारों को मात्र दो वर्षों का अनुभव, विद्युत संयत्रों के रख–रखाव, अधिष्ठापन में आवश्यक होगा। (2) विद्युत डिप्लोमाधारी को कम से कम चार वर्षो का अनुभव विद्युत संयत्रों के	**(3) क्षमता प्रमाण पत्र (सुपरवाइजर सर्टिफिकेट) हेतु योग्यता :–** (1) विद्युत अभियंत्रण के उम्मीदवारों को कार्यानुभव की आवश्यकता नहीं होगी। (2) विद्युत डिप्लोमाधारी को कम से कम दो वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक होगा। (3) दो वर्षीय ईलेक्ट्रिशियन / वायरमैन ट्रेड (ITI) में उत्तीर्ण होने के बाद 4 (चार) वर्षों का विद्युत संयत्रों का रख–रखाव का अधिष्ठापन

रख–रखाव, अधिष्ठापन में आवश्यक होगा। (3)दो वर्षीय ईलेक्ट्रिशियन/वायरमैन ट्रेड (ITI) में उत्तीर्ण होने के बाद 13 वर्षो (मान्य) का व्यावहारिक ज्ञान, विद्युत संयत्रों के रख–रखाव अधिष्ठापन में आवश्यक होगा।	में व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होगा।
(4) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें 15 (पन्द्रह) वर्षो का व्यावहारिक ज्ञान विद्युत संयत्रों के रख–रखाव, अधिष्ठापन का ज्ञान होना आवश्यक होगा (क्रमांक 1 एवं 2) ।	(4) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें 06 (छः) वर्षो का विद्युत संयत्रों के रख–रखाव, अधिष्ठापन का ज्ञान होना आवश्यक होगा ।
(4) तारमिस्त्री (वायरमैन) परमिट हेतु साक्षरता :– अधिसूचना की कंडिका–13 आवेदन कर्त्ता को बिजली लगाने के काम में कम–से–कम तीन वर्षो का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।	**(4) तारमिस्त्री (वायरमैन) परमिट हेतु साक्षरता :–** तारमिस्त्री हेतु आवेदक को विद्युत संबंधी कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होगा।
(5) अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र (विद्युत ठेकेदार लाइसेन्स) :– इस संबंध में कोई प्रक्रिया अधिसूचित नहीं है।	**5. अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र (विद्युत ठेकेदार लाइसेन्स) :–** किसी विनिर्दिष्ट कार्य अथवा छः माह से अनाधिक कार्यावधि के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र ऐसे ठेकेदार को अनुज्ञप्ति हेतु विहित शुल्क के भुगतान एवं आवश्यक कागजात जमा करने के उपरान्त जारी की जा सकेगी, जो किसी अन्य राज्य के अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र धारक हों और उसके अधीन उस राज्य में वैसे हीं कार्य करने के लिए सक्षम हो । इस प्रकार से प्रदान की गई अस्थायी अनुज्ञप्ति उक्त अवधि के उपरान्त मान्यीकरण हेतु 250/– (दो सौ पचास रूपये मात्र) का विहित शुल्क का भुगतान करने पर जॉचोपरान्त आवश्यकतानुसार अधिकतम और छः माह के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(ख) लाईसेंसिंग बोर्ड की अन्य कार्य प्रक्रिया/दायित्व आदि से संबंधित नियम एवं शर्तें उसी प्रकार लागू रहेंगी, जैसा की ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–17, दिनांक–19.09.1998 के द्वारा निरूपित किए गए थे।

17/6/13

(शम्भु नाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3131 /दिनांक– 18/6/13

प्रतिलिपि :–उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

17/6/13

(शम्भु नाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 3131 /दिनांक– 18/6/13

प्रतिलिपि :–सभी विभागों के सचिव/प्रधान सचिव/मुख्य विद्युत निरीक्षक, बिहार, पटना/वरीय विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, पटना/विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित । I.T. मैनेजर को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/6/13

(शम्भु नाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।